रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-157/2016/945/22-2-2016-17(24)/2007
लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, वाराणसी** में निरूद्ध सिद्वदोष **बन्दी राम औतार (बन्दी संख्या-47361) पुत्र श्री परमेश्वर, निवासी ग्राम-नान्हू का पुरवा मजरे जसमण्डी, थाना-कोतवाली, जिला-बाराबंकी हाल पता-गुबनी रसूलपुर, थाना-चिनहट, जिला-लखनऊ** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-202/1978** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-396,** के अधीन **दिनांक 31-01-1979** को मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया थाA मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा धारा-396 में दी गयी आजीवन कारावास की सजा को दिनांक 24.09.1992 को धारा-302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, **बाराबंकी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-157/2016/945(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
3- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in